सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 615 राँची, बुधवार, 8 भाद्र, 1938 (श०)

30 अगस्त, 2017 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

22 दिसम्बर, 2016

विषय:- जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को खाद्यान्न, चीनी एवं नमक वितरण योजना में प्रति क्विंटल कमीशन रूपये 100.00 (रूपये एक सौ) मात्र निर्धारित करने एवं इस हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू. 12,64,81,330.80 (रूपये बारह करोड़ चैसठ लाख एकासी हजार तीन सौ तीस तथा पैसे अस्सी) मात्र तथा आगामी वित्तीय वर्षों में कुल वार्षिक अतिरिक्त व्यय रू. 37,94,43,992.40 (रूपये सैंतीस करोड़ चैरानवे लाख तैंतालीस हजार नौ सौ बानवे तथा पैसे चालीस) मात्र की स्वीकृति ।

संख्या- 4/खा.आ. (अन्त्योदय परि.-सह-हथा.) 77/2004 – 5219-- माह अक्टूबर 2015 से राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू हो चुका है जिसके पश्चात् भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जन वितरण प्रणाली दुकानों को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाया जाना है । विभिन्न स्तरों से जन वितरण प्रणाली दुकानों को सुदृढ़ व लाभप्रद बनाये जाने की मांग होती रही है ।

2. भारत सरकार के पत्रांक 15-44/13-NFSA, दिनांक 7 अप्रैल, 2015 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू होने के उपरान्त जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को मार्जिन के रूप में बेसिक रू॰ 70/- प्रति क्विंटल एवं PoS (Point of Sell) डिवाईस के माध्यम से वितरण किये जाने पर रू॰ 17.00 प्रति क्विंटल की दर से Additional Margin Money राज्य सरकार को उपलब्ध कराने की सूचना दी गई है । इसमें 50 राशि भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी अर्थात् बेसिक मार्जिन के रूप में रू॰ 35.00 प्रति क्विंटल एवं एडिशनल मार्जिन के रूप में रू॰ 8.50 प्रति क्विंटल की दर से राशि भारत सरकार से प्राप्त होगी ।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या 7577, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 के द्वारा राजकोष पर अतिरिक्त भार पहुचाएं बिना बजट में उपबंधित राशि रू॰ 45.00 प्रति क्विंटल एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाली मार्जिन मनी रू॰ 35.00 प्रति क्विंटल का योगफल रू॰ 80.00 प्रति क्विंटल की दर से खाद्यान्न वितरण का कमीशन जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । यही दर (रू॰ 80.00 प्रति क्विंटल) नमक एवं चीनी वितरण योजना में भी रहती है । यह बढ़ा हुआ कमीशन माह दिसम्बर 2015 से लागू हैं ।

4. राज्य के जन वितरण प्रणाली दुकानों को आर्थिक रूप से सबल करना आवश्यक प्रतीत होता है ताकि Forced Leakages की संभावना समाप्त की जा सके एवं दुकानदारों के जीवन स्तर में सुधार हो सके । इस परिपेक्ष्य में दुकानों द्वारा वितरित सामग्रियों के कमीशन में वृद्धि अपेक्षित प्रतीत हुई है ।

5. रू॰ 80.00 प्रति क्विंटल की दर से जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को कमीशन दिये जाने पर यह एक पूर्ण राशि के रूप में नहीं हो पाता है । वर्तमान में खाद्यान्न एवं नमक का वितरण रू॰ 1.00 प्रति किलोग्राम की दर से किया जाता है । इसमें दुकानदारों को मात्र 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से (अपना कमीशन काट कर) ड्राफ्ट/नेफ्ट से राशि जमा करनी पड़ती है । मात्र 20 पैसे प्रति किलोग्राम के दर हेतु अपेक्षाकृत अधिक प्रक्रियात्मक विलम्ब हो जाता है ।

6. चीनी वितरण योजना के Third party evaluation हेतु हुए सर्वेक्षण में 72ः जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा अपना कमीशन रू॰ 1.00 प्रति किलोग्राम की दर से करने की मांग की गई है।

7. उक्त के आलोक में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का कमीशन दिसम्बर 2016 से खाद्यान्न, नमक एवं चीनी वितरण योजनाओं में रू॰ 1.00 प्रति किलोग्राम की दर से किया जाता है ।

8. जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का कमीशन रू॰ 1.00 प्रति किलोग्राम की दर से करने पर उनकों ड्राफ्ट/नेफ्ट से राशि जमा करने में होने वाले अपेक्षाकृत अधिक प्रक्रियात्मक विलम्ब से बचा जा सकेगा । अर्थात् सिर्फ आवंटन के आधार पर दुकानदारों को खाद्यान्न एवं नमक की आपूर्ति की

जायेगी एवं इसमें लाभुकों से प्राप्त होने वाली राशि (रू॰ 1.00 प्रति किलोग्राम) उनका कमीशन हो जायेगा ।

9. इस बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि का भार राजकोष से वहन किया जायेगा । इस वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर 2016 से जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को रू॰ 100.00 प्रति क्विंटल की दर से कमीशन प्रदान करने पर निम्नवत् अतिरिक्त व्यय राजकोष पर आने की संभावना है-

I. नमक - 58,40,806 लाभुक परिवार X 1 किलोग्राम प्रतिमाह X 4 माह X(रू॰ 1.00-0.80 = 0.20) = रू॰ 46,72,644.80

II. चीनी - 58,40,806 लाभुक परिवार X 5 किलोग्राम X (रू॰ 1.00-0.80 = 0.20) = रू॰ 58,40,806.00

{चार माह में 5 किलोग्राम चीनी}

III. खाद्यान्न - 14,49,59,850 किलोग्राम प्रतिमाह X 4 माह X (रू॰ 1.00-0.80 = 0.20) = रू॰ 11,59,67,880.00

10. इस प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के चार माह में कुल अतिरिक्त व्यय = रू॰ 46,72,644.80 + रू॰ 58,40,806.00 + रू॰ 11,59,67,880.00 = रू॰ 12,64,81,330.80 (रूपये बारह करोड़ चैसठ लाख एकासी हजार तीन सौ तीस तथा पैसे अस्सी) मात्र तथा आगामी वित्तीय वर्षों में कुल वार्षिक अतिरिक्त व्यय रू॰ 37,94,43,992.40 (रूपये सैंतीस करोड़ चैरानवे लाख तैंतालीस हजार नौ सौ बानवे तथा पैसे चालीस) मात्र होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त राशि की व्यवस्था अनुपूरक बजट से की जायेगी। अगले वित्तीय वर्ष से कुल राशि का बजटीय उपबंध किया जायेगा ।

11. उपरोक्त से संबंधित विभागीय संलेख संख्या-4959 दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 की बैठक के मद संख्या-08 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 615--50